तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हनुमानराम बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 176/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हनुमानराम पुत्र मंगलाराम विश्नोई पता विष्णुनगर दुगर, पोस्ट सुराणी तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.07.17 में उसके द्वारा (1) गांव दुगर पंचायत समिति बालेसर तत्कालीन तहसील शेरगढ आज वर्तमान तेहसील बालेसर में दुगर का खसरा संख्या 342 की 14.11 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारश पर एस.डी.ओ.जोधपुर द्वारा ग्राम दुगर ते. शेरगढ में शंकरलाल पुत्र बालूराम को दिनांक 06.03.1976 को आवंटन किया गया था। आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश की पत्रावली की पूर्ण नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि, (2) तहसीलदार शेरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ/76/1117 दिनांक 06.03.1976 के तहतत हुआ जिसका नामान्तकरण सं. 345 दर्ज हुआ था (शंकरलाल पुत्र बालुराम के नाम आवंटन की नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति), से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 03.10.2017 को सूचना देने से इन्कार कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में बतलाया कि लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई बल्कि प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को विधि विरूद्ध प्रेषित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी ने पत्र जारी कर जाहिर किया कि बिन्दु संख्या एक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और बिन्दु सं.–2 के लिये तहसीलदार शेरगढ को प्रेषित कर दिया गया आखिर में दिनांक 03.10.17 को स्पष्ट मना कर दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, परन्तु आखिर रिकॉर्ड कहां गया जिसका कोई जबाब नहीं है जिसके लिये दोषी है। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1598 दिनांक 24.11.2017 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित करना बताया गया। लगातार....	

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से जरिये पत्रांक 1145 दिनांक 20.11.2017 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा श्री शंकरलाल पुत्र बालूराम के नाम दिनांक 06.03.76 को ग्राम दुगर के ख.नं. 342 रकबा 14.11 बीघा भूमि का आवंटन संबंधी रिकॉर्ड इस कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध भू–आवंटन प्रार्थना–पत्र तहसील शेरगढ वर्ष 1974 से 1976 उपलब्ध पत्रावली में उक्त आश्य का आवंटन संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना पाया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 887 दिनांक 28.07.2017 द्वारा दी जा चुकी है। बिन्दु–2 से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय शेरगढ से संबंधित होने के कारण प्रार्थना–पत्र तहसीलदार शेरगढ को स्थानान्तरित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या–एक से संबंधित सूचना उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित कर दिया गया परन्तु बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना तहसीलदार शेरगढ से संबंधित होने के बावजूद प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी शेरगढ जरिये पत्रांक 866 दिनांक 25.07.17 को स्थानान्तरित किया गया जो खेदजनक है अतः उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र में बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना तहसील शेरगढ से संबंधित है तत्काल तहसीलदार शेरगढ से दिलाये जाने की कार्यवाही करे। तहसीलदार शेरगढ को भी निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं. 2 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।